



केंद्रीय शुल्क के प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL TAX
[केडर नियंत्रण प्राधिकारी CADRE CONTROLLING AUTHORITY]
हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय HYDERABAD GST COMMISSIONERATE
जीएसटी भवन, एल बी स्टेडियम रोड, बशीर बाग, हैदराबाद-500 004
GST BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEER BAGH, HYDERABAD-500004
C.No.II/3/12/2013-Conf.sec. Date:11.01.2019

स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं.12/2019
ESTABLISHMENT ORDER (N.G.O.) NO.12/2019

विषय :-स्थापना – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक पद के लिए भर्ती- कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा, 2012 के अतिरिक्त परिणाम के आधार पर अभ्यर्थी का आबंटन- संबन्धित।

Sub: Estt. – Recruitment to the post of Inspector of Central Excise/GST Allocation of candidates on the basis of additional results of the Combined Graduate Level Examination, 2012, conducted by SSC- Reg.

वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक पद हेतु आयोजित संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा, 2012 के अतिरिक्त परिणाम के आधार पर, बोर्ड के पत्र F.No. A-12034/SSC/02/2012-Ad. III(B) दिनांक 10.04.2018 के अनुसार, हैदराबाद / विशाखापटनम क्षेत्र के सामान्य संवर्ग हेतु कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित उम्मीदवारों को, समय-समय पर स्वीकार्य भर्ती सहित एंट्री वेतन रु० 44,900/- (इंडेक्स-1, सातवे वेतन आयोग के मट्रिक्स लेवल - 7) पर, निरीक्षक के पद (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वस्तु/ सेवा कर) पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाता है। उनकी नियुक्ति, उनके झूटी पर रिपोर्ट करने की तिथि से प्रभावी होगी। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के फलस्वरूप उन्हें हैदराबाद क्षेत्र आवंटित किया जाता है।

The following candidates, sponsored by the Staff Selection Commission, in the common cadre of Hyderabad/Visakhapatnam Zones on the basis of additional result of Combined Graduate Level Examination, 2012 for the post of Inspector (Central Excise/GST) vide Board's letter F.No. A-12034/SSC/02/2012-Ad. III(B) dated 10.04.2018 are offered appointment to the post of Inspector (Central Excise/GST) in the entry pay of Rs. 44,900/- (Index 1, level 7 in pay matrix of 7th Pay Commission) plus allowances admissible from time to time. Their appointment shall take effect from the date on which they report to duty. Consequent on their appointment as Inspector of Central Excise/GST, they have been allotted to **Visakhapatnam Zone.**

क्रमांक S.No.	अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती/कु. Name of the candidate Shri/Smt./Kum.	जन्मतिथि Date of Birth
1	Sonu Kumar	01.01.1990
2	Jitender Kumar	04.03.1990
3	Manish Kumar	26.06.1986

4	Ajay	06.07.1987
---	------	------------

2. उपरोक्त नियुक्ति, अगले आदेशों तक, पूर्ण रूप से अस्थायी आधार पर होगी।
The above appointment will be purely on a temporary basis and until further orders.
3. यह नियुक्ति आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।
This appointment order is subject to following conditions.
4. उम्मीदवार केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के निरीक्षक [वर्ग ख (अराजपतरित) संवर्ग] भर्ती नियम, 2016 और सी सी एस (कंडक्ट) नियम, 1965 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
The Candidates will be governed by the provisions of the Central Excise and Customs Department Inspector [Group B (Non-Gazatted officers)] Recruitment Rules, 2016 & CCS (Conduct) Rules, 1965 as amended.
5. उम्मीदवार नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परिबीक्षाधीन रहेंगे। सक्षम अधिकारी के विवेक पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। परिबीक्षा अवधि और स्थायीकरण विभागीय परीक्षा के संतोषजनक समापन पर, उपरोक्त पद पर उनके स्थायीकरण पर विचार किया जाएगा।
The candidates shall be on probation for a period of two years from the date of appointment, the period of which can be extended at the discretion of the Competent Authority. On completion of the probation period satisfactorily and on passing the Departmental Examination for confirmation, they will be considered for confirmation in the said post.
6. केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के अनुसार उनकी सेवाएँ, किसी एक की ओर से एक महीने के नोटिस पर, बिना कोई कारण बताए, समापनीय होंगी। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार है कि उन्हें नोटिस की अवधि के लिए अथवा उस अवधि के असमाप्त हिस्से के लिए वेतन और भत्ते के बराबर की राशि का भुगतान करके उनकी सेवाओं को वह तत्काल समाप्त करें अथवा नोटिस की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले समाप्त करें।
The candidates' services will be terminable on one month's notice from either side in accordance with the Central Civil Service (Temporary Service) Rules, 1965, without assigning any reasons. The Appointing Authority, however, reserves the right of terminating their services forthwith or before the expiration of the stipulated period of notice by making payment to them of a sum equivalent to the pay and allowances for the period of notice or the unexpired portion thereof.
7. अभ्यर्थियों की नियुक्तियां बोर्ड के पत्र 12034/SSC/02/2012-Ad.III(B) दिनांक 10.04.2018 के अनुसार 2017/2018 की मौजूदा प्रत्यक्ष भर्ती रिक्तियों के विरुद्ध की जाती हैं।
The appointments of the candidates are made against the existing DR Vacancies for the year 2017/18 in accordance with Boards letter in F.No. A. 12034/SSC/02/2012-Ad.III(B) dated 10.04.2018.
8. छुट्टी, यात्रा भाटे तथा सेवा-शर्तों से संबन्धित सभी अन्य मामलों के संबंध में, वे लोक-सेवा की जिस शाखा के हैं, उसके लिए अनुप्रयोज्य तथा समय-समय पर लागू नियमों तथा आदेशों द्वारा नियंत्रित रहेंगे।
With regard to Leave, Travelling Allowances and all other matters connected with service conditions, the candidates will be governed by the rules and the orders in force from time to time and applicable to the branch of public service to which they may belong.
9. कार्यग्रहण करने पर उन्हें भारत के संविधान के प्रति निष्ठा-शपथ लेना होगा या इस प्रभाव के सत्यनिष्ठा अभिकथन देना होगा।
On joining the post, the candidates will be required to take an Oath of allegiance to the Constitution of India or have to make a solemn affirmation to that effect.

10. यदि वे स्थाई सरकारी कर्मचारी नहीं हैं या तीन वर्ष की अस्थाई सेवा पूरी नहीं की हैं, तो वे उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ते के हकदार नहीं होंगे।

The candidates will not be entitled to Travelling Allowance for joining the post unless they are permanent Government servants or have completed three years of temporary service.

11. भारत सरकार के अधीन सेवाओं में भर्ती के लिए लागू उपयुक्त नियमों के अनुसरण में,

In accordance with the relevant rules in force in regard to the recruitment to services under the Government of India,

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या जो, एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह कर लेता है, हालांकि पत्नी के जीवन-काल में घटित होने के कारण वह विवाह अमान्य हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा बशर्ते कि केंद्र सरकार किसी व्यक्ति के संबंध में उपर्युक्त नियम के लागू होने से छूट दे सकती है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसे आदेश देने के विशेष कारण हैं।

(a) No person who has more than one wife living or who, having a spouse living, contracts to a second marriage, though such marriage is void by reason of its taking place during the life-time of such spouse, shall be eligible for appointment to service, provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.

(ख) कोई ऐसी स्त्री, जिसकी शादी उसके पति के जीवन-काल में घटित होने के कारण से अमान्य हो या जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पत्नी उक्त विवाह से समय जीवित हो, नियुक्ति की पात्र नहीं होगी बशर्ते कि भारत सरकार ने संतुष्ट होकर कि ऐसा आदेश देने के विशेष कारण हैं, उसे छूट दी है।

b) No such women whose marriage is void by reason of its taking place during the life-time of her spouse or who have married to such a person whose wife is living at the time of marriage shall be eligible for appointment in service unless the Government of India has granted exemption to such a woman in accordance with this rule after being satisfied that there are special grounds for so ordering.

12. अतः यह नियुक्ति प्रस्ताव सशर्त है कि उम्मीदवार उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करें तथा अपने उत्तर के साथ, इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में घोषणा दें। अगर वे उपर्युक्त शर्त को पूरा नहीं करते तथा किसी कारणवश उपर्युक्त नियमों से छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें तत्काल इस आशय का अभ्यावेदन देना चाहिए। ऐसे मामले में यह नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त माना जाए तथा उनके अभ्यावेदन पर विचार करने पर यदि यह निर्णय किया जाता है कि उन्हें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक पद के लिए नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जाए तो आगे की सूचना प्रेषित की जाएगी।

This offer of appointment is, therefore, conditional upon the candidates' satisfying the requirements mentioned and furnishing declaration in the form enclosed to this letter, along with their reply. In case, they don't fulfill the above conditions and they desired to be exempted from the above mentioned rules for any reason, they should make a representation in this behalf immediately. This offer of appointment should, in that case, be treated as cancelled and a further communication will be sent to them in due course, if upon consideration of their representation, it is decided to offer them appointment to the post of Inspector of Central Excise.

13. तेलंगाना / आंध्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद / विशाखापटनम क्षेत्र के निरीक्षक के सामान्य संवर्ग में उनकी परस्पर-वरिष्ठता लागू आदेशों के अनुसार तय किया जाएगा।

The candidates' inter-se-seniority in the common cadre of Inspector of Hyderabad/Visakhapatnam Zone in the State of Telangana/Andhra Pradesh will be fixed according to the orders in force.

14. उन्हें किसी भी समय तेलंगाना / आंध्र प्रदेश के संवर्ग नियंत्रण क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। तेलंगाना / आंध्र प्रदेश के बाहर किसी अन्य आयुक्तालय में उनकी तैनाती से संबन्धित किसी भी निवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

The candidates are liable to be transferred anywhere within Cadre Control jurisdiction of Telangana/Andhra Pradesh at any point of time. Under no circumstances the request for posting to any other Commissionerate outside Telangana/A.P. will be entertained.

15. वे अपनी धार्मिक आस्था बदलने की सूचना तत्काल नियुक्ति प्राधिकारी को दें।

The candidates shall intimate the appointing authority as and when they change their religious faith.

16. अगर वे रोजगार हेतु पहले ही आवेदन दे चुके हैं / किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में बैठ चुके हैं तो उन्हें झूठी पर रिपोर्ट करते समय यह सूचना भी देनी चाहिए। विभाग प्रमुख को आवेदन पत्र को आगे अन्य सरकारी कार्यालयों या कहीं और अग्रेषित करने या रोक लगाने का पूर्ण अधिकार होगा।

The candidates shall also intimate at the time of reporting for duty, if they had already applied / appeared in any other competitive examination for employment. The Head of the Department has full discretion to forward or withhold any of their applications for appointment to other Government Offices or elsewhere.

17. यदि वे केन्द्र / राज्य सरकार / भारत सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रित या स्वामित्व वाले या राज्य सरकार / किसी उपक्रम / विश्वविद्यालय / स्वतंत्र निकाय, में कार्यरत हैं तो उन्हें संबन्धित नियोक्ता से प्राप्त उचित कार्यसूक्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

If any of the candidates is employed with Central/State Government / an Undertaking owned by or controlled by the Government of India or a State Government / an autonomous body / University / local body, he/she shall produce proper relief report from the employer concerned.

18. यदि वे पद त्यागने के इच्छुक हैं तो उन्हें अपने इस अभिप्राय के विषय में 1 माह पूर्व नोटिस देना होगा और सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर के क्षेत्राधिकारी आयुक्त से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसा न करने पर वे प्रासंगिक नियमों में उल्लेखित अर्थदण्ड के जिम्मेदार होंगे।

If the candidates desire to resign, he/she should give one month notice in advance about their intention to do so and must obtain written permission from the jurisdictional Commissioner of Customs, Central Excise & Service Tax. Failure to do so will render their liable to the penalties prescribed in the relevant rules.

19. यदि उनके पास कोई रोजगार नामांकन कार्ड (X-10) है, तो उसे संबन्धित नियोक्ता/ प्रशासनिक प्राधिकरण को लौटाना होगा।

The candidates should surrender their Employment Registration Card (X.10) held if any, to the Appointing / Administrative authority concerned, at the time of reporting for duty.

20. यदि वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के होने का दावा करते हैं, तो उन्हें निर्धारित प्रारूप में (एम एच ए ओ एम संख्या 42/21/49-NGS दिनांक 28.01.1952 में यथानिर्धारित, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/28/94-Estt (Res) दिनांक 02.07.1997 में यथासंशोधित लागू), उल्लेखित किसी भी न्यायिक / राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वे नोट करें कि उनकी नियुक्ति अनंतिम होगी और उचित माध्यमों माध्यम द्वारा जाति / जनजाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है, यदि उनका अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के होने का या क्रीमी लेयर के न होने का दावा झूठा पाया जाता है, तो उनके सेवाएँ बिना कोई कारण बताएँ और बिना पक्षपात के, भारतीय दंड संहिता में झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने संबन्धित आगे की कार्यवाही सहित समाप्त कर दी जाएगी। उन्हें नियुक्ति के पश्चात अपने धर्म परिवर्तन की जानकारी, यदि कोई हो तो, तत्काल ही संबन्धित नियुक्ति / प्रशासनिक अधिकारियों को देनी चाहिए।

If the candidates claim to belong to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other backward Classes, they have to produce a certificate issued in the prescribed format (as prescribed in M.H.A.O.M No. 42/21/49-N.G.S, dated 28.01.1952 as amended /DOPT O.M.No. 36033/28/94-Estt (Res) dated 02.07.1997 as applicable) by any of the Judicial / Revenue authorities mentioned therein. They should note that their appointment will be provisional and is subject to verification of the Caste / Tribe certificate through proper channels and that if the claim to belong to SC/ST/OBC or the candidates do not belong to such category and the certificate is found to be false, their services will be terminated forthwith without assigning any reason and without prejudice to such further action that may be taken under the Indian Penal Code for production of false certificate. They should also intimate the change, if any, of their religion, after appointment, immediately to the Appointing/ Administrative Authorities concerned.

21. यदि उनके द्वारा की गई घोषणा या प्रस्तुत जानकारी गलत पाई जाती है या उनके द्वारा जानबूझकर किसी वैवाहिक जानकारी को छिपाया जाना पाया जाता है तो वे सेवाओं से हटाए जाने के और सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही के उत्तरदाई होंगे।

If any declaration given or information furnished by them is proved to be false or if they are found to have willfully suppressed any marital information, they will be liable for removal from service and other action as Government may deem necessary.

22. यह नियुक्ति प्रस्ताव पूर्ण रूप से अस्थायी है और संबन्धित जिला / पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी पूर्ववृत्त, संबन्धित जारीकर्ताओं द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय / सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शिक्षा प्रमाणपत्र की सत्यापन रिपोर्ट के प्राप्त होने के अधीन है। संबन्धित अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रतिकूल / नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने के मामले में, सेवाएं किसी भी कारण या नोटिस के बिना बताए तुरंत समाप्त हो जाएंगी।

This offer of appointment is purely temporary and is subject to receipt of the antecedent verification report from the concerned District Police Authorities and Caste certificate from the concerned issuing authority. In case any adverse report is received from the concerned Authorities, the services will be terminated immediately without assigning any reason or notice.

23. नियमित तैनाती के पूर्व नव नियुक्त निरीक्षकों को संबन्धित क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।


The newly appointed Inspectors should undergo the mandatory training in Regional Training Institute of the appointing authority concerned before they are given a regular posting.

24. उक्त कर्मचारियों के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1-खंड 1 दिनांक 22.12.2003 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० 5/7/2003-ईसीवी व पीआर दिनांक 22.12.2003 के तहत अधिसूचित नई पेंशन प्रणाली लागू होगी। सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 26(2) के तहत तकनीकी त्यागपत्र देकर उपरोक्त पद में पुनर्नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने वाले स्थाई सरकारी कर्मचारी के लिए यह लागू नहीं होगी।

The candidates shall be governed by the New Pension Scheme as notified vide Government of India, Ministry of Finance, Notification no. 5/7/2003-EECB & PR dated 22.12.2003- published in Gazette of India, Extraordinary, Part I- Section , I dated 22.12.2003. This will not apply to a permanent Government servant who joins the post on tendering Technical resignation under Rule 26(2) of CCS (Pension) Rules, 1972 on reappointment to the post.

25. यदि उन्हें उपरोक्त नियम व शर्तें स्वीकार्य हैं तो वे 11.02.2019 को या उससे पहले अपर आयुक्त (का व स), मुख्य आयुक्त कार्यालय, विसाखपटनम जोन, पोर्ट एरिया, विसाखपटनम-530035 के समक्ष अपने मूल शैक्षिक/दिव्यांग/जाति प्रपत्रों के साथ ड्यूटी के लिए उपस्थित हों। यदि वे नियत तिथि पर से उससे पूर्व ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह नियुक्ति आदेश, उन्हें बिना किसी भी संदर्भ को सूचित किए हुए, रद्द समझा जाएगा। तैनाती स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु उन्हें कोई भी यात्रा या अन्य भत्ता को देय नहीं होगा।

They should report for duty before the **Additional Commissioner (CCO), Chief Commissioner's Office, Visakhapatnam Zone, Port Area, Visakhapatnam-530035 on or before 11.02.2019** along with Educational/PH/Caste certificates in original, if the above terms and conditions of appointment order are acceptable to him. If he/she fails to report for duty on or before the stipulated date, this appointment order will be treated as cancelled without making any further reference to him/her. No travelling or any other allowance will be admissible to him/her for joining at the place of posting.



(पी.डी. पुली P.D. PULI)

अपर आयुक्त (का व सत)

ADDITIONAL COMMISSIONER (P&V)

प्रति To

संबन्धित व्यक्ति को

1. Shri Jitender Kumar, S/o Shri Rajender Singh,
Village - Kurri, Thana - Chhaprauli,
Dist. - Baghpat, Uttar Pradesh - 250617.


2. Shri Sonu Kumar, S/o Shri Mahendra Singh,
Village- Sanzak, Post- Tawli, Thana - Shahpur,
District - Muzzaffar Nagar,
Uttar Pradesh - 251318.

3. Shri Manish Kumar Sharma, S/o Dharampal Sharma,
H.No.-46, Ram Leela Gali, Sannoath, Narela, Dist.- Northwest Delhi,
Pin - 110040.

4. Shri Ajay, S/o Shri Mahavir Singh, H.No. 1172,
Near Syndicate Bank, Kanjhawla Road, Bawana,
Northwest Delhi - 110039.

प्रतिलिपि Copy to:

1. मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद /वैजाग क्षेत्र।
The Chief Commissioner, Customs, Central Excise & Service Tax, Hyderabad/Vizag zone.
2. सभी आयुक्त, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद/वैजाग क्षेत्र।
All the Principal Commissioner/Commissioners of Customs, Central Excise & Service Tax, Hyderabad/Vizag Zone.
3. सभी CAO/PAO, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद/वैजाग क्षेत्र।
All the CAO/PAO, Central Excise & Service Tax, Hyderabad/Vizag Zone.
4. स्टॉक फ़ाइल/ नोटिस बोर्ड Notice Board/Stock File.



(पी.डी. पुली P.D. PULI)

अपर आयुक्त (का व सत)

ADDITIONAL COMMISSIONER (P&V)